न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 55/2020

GCMS NO. : 2020/00097

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. निष्काम चौधरी पुत्र स्व. देवाराम जाति–सीरवी निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली। (पूर्व का नाम पूनाराम)		1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली। 2. केसाई पत्नी स्व. देवाराम 3. चेलाराम पुत्र स्व. देवाराम 4. कानाराम पुत्र स्व. देवाराम जातियान–सीरवी निवासीगण–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.19/03/2020

उपस्थित:– 1. श्री राजेन्द्रसिंह उदावत, अधिवक्ता वादी।

2. श्री गोविन्द प्रजापत, सरकारी पैरोकार, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 24/12/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी का जन्म से नाम पूनाराम पुत्र देवाराम था। वादी ने स्कूल में अध्ययन भी किया जो कक्षा प्रथम से 11 वीं तक स्कूल रेकर्ड में वादी का नाम पूनाराम ही था। वादी के पिता देवाराम पुत्र लालाराम की मृत्यु के पश्चात राजस्व रेकर्ड में भी वादी का नाम पूनाराम पुत्र देवाराम दर्ज किया था जो उस समय सही दर्ज किया था, जो आज दिन तक की वर्तमान जमाबन्दी मे भी यही नाम चला आ रहा है। वादी की जमीन सरहद मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज० में आई हुई है जिसके खसरा नम्बर 407/1 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 611 रकबा 115 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 617 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 119 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 393 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 100 बीघा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 399 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 1 बीघा [illegible], खसरा नम्बर 534 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा इस प्रकार कुल खसरा [illegible] कुल रकबा 168 बीघा 18 बिस्वा है। जिसमे वादी का नाम पूनाराम पुत्र देवाराम दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। वादी ने सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय [illegible] मे प्रवेश

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

लिया उस समय वादी ने कॉलेज रेकर्ड में अपना नाम पूनाराम पुत्र देवाराम के स्थान पर निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम दर्ज करवाया जिसके लिये सहायक कलेक्टर ब्यावर मे प्रार्थनापत्र पेश किया और राजकीय गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्रीमान् सहायक कलेक्टर महोदय, ब्यावर ने वादी का नाम पूनाराम के स्थान पर निष्काम चौधरी करने का आदेश सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के प्राचार्य को प्रेषित किया तब से प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष व फाईनल वर्ष स्नातक की डिग्री आदि मे वादी का नाम निष्काम चौधरी दर्ज किया गया व वादी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड आदि मे वादी का नाम निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम दर्ज है। वादी वर्तमान में राजकीय कर्मचारी है जो अध्यापक है जिसने सरकारी सभी दस्तावेजात मे अपना नाम निष्काम चौधरी ही दर्ज करवाया है तथा वादी की नियुक्ति भी निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम के नाम से ही जारी की गई है। मगर वादी को सम्पूर्ण कानूनी जानकारी नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम संशोधन नही करवाया। वर्तमान मे वादी को ऋण की आवश्यकता हुई तब पटवारी जी से दिनांक 25/06/2020 को मिलकर अपनी सारी जमीन की नकले प्राप्त की तब पटवार हल्का देवरिया ने बताया कि अब आपको निष्काम चौधरी के नाम से ही ऋण मिलेगा जबकि राजस्व रेकर्ड मे आपका नाम पूनाराम दर्ज है तब वादी ने पटवार हल्का को अपने नाम संशोधन के गजट नोटिफिकेशन की फोटो प्रति बताई तब पटवार हल्का ने बताया कि यह आदेश सब डिविजन मजिस्ट्रेट ब्यावर का है और आपने कॉलेज मे नाम संशोधन करवाया उक्त कॉलेज भी सब डिविजन ब्यावर के क्षेत्राधिकार में है। राजस्व जमीन सब डिविजन मजिस्ट्रेट ब्यावर के क्षेत्राधिकार में न होकर सब डिविजन मजिस्ट्रेट जैतारण के क्षेत्राधिकार में है इसलिए आपको राजस्व रेकर्ड मे भी अपना नाम निष्काम चौधरी करवाने के लिये सब डिविजन मजिस्ट्रेट जैतारण के कार्यालय मे नाम संशोधन की घोषणा का वाद पेश करना पडेगा और श्रीमान् के आदेश से ही नाम राजस्व रेकर्ड नाम बदल सकते है। इस कारण यह वादपत्र नाम संशोधन घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से तथा घोषणा के वादपत्र में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 सहखातेदार काश्तकार होने से एवं राजस्व रेकर्ड मे उनका नाम दर्ज होने से उनको प्रतिवादीगण पक्षकार समायोजित किया गया है जबकि उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा गया है। बिनाय वाद दिनांक 25/06/2020 को पटवार हल्का देवरिया से मिलकर राजस्व रेकर्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने पर सर्व प्रथम वादी को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम पूनाराम दर्ज होने की जानकारी होने पर वादी ने पटवार हल्का देवरिया के समक्ष राजस्व रेकर्ड मे सही नाम निष्काम चौधरी दर्ज करने हेतू निवेदन करने पर पटवार हल्का देवरिया द्वारा न्यायालय के आदेश से ही नाम संशोधन करने का कहने पर बमुकाम देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे होने से उक्त वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद सादर पेश है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान पुखाराम पुत्र स्व. देवाराम का नाम वाद से हटाया/विलोपित किया जाकर वादपत्र में लाल स्याही से डिलिट अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3 व 4 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि वाद पत्र का पैरा संख्या 01,02,03,04 व 05 सही है, जो स्वीकार है। वादी का पूर्व नाम पूनाराम था इसने बालिग होने के पश्चात अपना नाम निष्काम चौधरी रखा। हम भी गांव में घर पर इसे पूनाराम व निष्काम चौधरी दोनों में से किसी भी नाम से पुकार लेते है। वाद पत्र का पैरा संख्या 06,07 व 08 कानूनी है। जो न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में जो भी कानूनी आदेश श्रीमान् द्वारा पारित किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि पैरा संख्या 01,02,03,04,05 व 06 स्वीकार है। पैरा संख्या 07 वादी जिम्मे है। वादी द्वारा संलग्न वाद के कागजात, गजट नोटिफिकेशन प्रति, सहायक कुल सचिव (परीक्षा), मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आदि एवं मजमा-ए-आम प्रशासन गॉवों के संग शिविर सांगावास में दौराने जॉच पाया गया है कि ग्राम देवरीया के खसरा नम्बर 407, 585, 611, 617, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 404, 534 में दर्ज नाम ‘‘पुनाराम पुत्र देवाराम’’ कौम सीरवी के स्थान पर ‘‘निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम’’ जाति सीरवी शुद्धि किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया। ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया भू.अभि.नि. क्षेत्र आगेवा की जमाबन्दी संवत् 2074-77 के खसरा नम्बर 407/1 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 611 रकबा 115 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 617 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 393 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 100 बीघा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 14 [illegible] खसरा नम्बर 398 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा [illegible] बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 04 बी[illegible] नम्बर 404 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा 2[illegible] बीघा 05 बिस्वा में पुनाराम पुत्र

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

देवाराम बतौर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता देवाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात उनके देहान्त के बाद उक्त भूमि नामान्तरकरण के जरिये वारिसान के नाम दर्ज की गई जिसमें मुझ वादी का नाम पुनाराम पुत्र देवाराम अंकन कर दिया गया, जो आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादी ने राजकीय गजट नोटिफिकेशन द्वारा श्रीमान् सहायक कलेक्टर, ब्यावर के माध्यम से स्वयं का नाम पूनाराम के स्थान पर निष्काम चौधरी करने का आदेश करवाया। प्रतिवादी संख्या 01 ने भी अपने जबाब में पुनाराम पुत्र देवाराम का नाम निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम शुद्धि करने की अनुशंसा की है। वादी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के दस्तावेज निष्काम चौधरी के नाम से है न की पूनाराम के नाम से। प्रदर्श–1 (राजस्थान राज–पत्र, सितम्बर 20, 1984), प्रदर्श–2 (सहायक कुल सचिव–परीक्षा प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–3 (आधार–कार्ड), प्रदर्श–4 (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा,1982 अंक तालिका), प्रदर्श–5 (सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1982 प्रमाण–पत्र), प्रदर्श–6 (हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1983 अंक तालिका), प्रदर्श–7 (हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1983 प्रमाण–पत्र) एवं प्रदर्श–8 (एम.ए. फाईनल अंक तालिका) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का पूर्व नाम पूनाराम पुत्र देवाराम था एवं बाद में गजट नोटिफिकेशन से वादी ने नाम परिवर्तित करवा कर निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम करवा लिया। वास्तव में पूनाराम व निष्काम चौधरी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इस प्रकार तहसीलदार जैतारण एवं प्रतिवादी संख्या 2,4 व 5 के जवाब एवं वादी के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार पूनाराम पुत्र देवाराम द्वारा राजस्थान राज–पत्र में नोटिफिकेशन दिनांक 20.09.1984 के द्वारा अपना नाम ''पूनाराम पुत्र देवाराम'' (पूर्व नाम) के स्थान पर ''निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम'' नाम परिवर्तित कर लिया गया है। अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के भू–अभिलेख में वादी के पूर्व नाम ''पूनाराम पुत्र देवाराम'' को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर प्रदर्श–1 गजट नोटिफिकेशन में वर्णित नवीन नाम ''निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम'' दर्ज करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया भू.अभि.नि. क्षेत्र आगेवा की जमाबन्दी संवत् 2074–77 के खसरा नम्बर 407/1 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 611 रकबा 115 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 617 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 393 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 100 बीघा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 399 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पूर्व नाम की प्रविष्टि "***पूनाराम पुत्र देवाराम***" को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर नवीन नाम की प्रविष्टि ***"निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम"*** दर्ज करते हुए राजस्व रिकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रिकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 24/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री बमुकदमें इब्तदाई</u>

(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– **सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण**

बईजलास :– **श्रीमति मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

–: वादी :–	–: प्रतिवादीगण :–
1. निष्काम चौधरी पुत्र स्व. देवाराम जाति–सीरवी निवासी–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली। (पूर्व का नाम पूनाराम)	1. तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण जिला पाली। 2. केसाई पत्नी स्व. देवाराम 3. चेलाराम पुत्र स्व. देवाराम 4. कानाराम पुत्र स्व. देवाराम जातियान–सीरवी निवासीगण–देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 55/2020

<u>राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री राजेन्द्र सिंह उदावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री गोविन्द प्रजापत एवं सरकारी पैरोकार तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। आराजी सरहद मौजा देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 407/1 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा कुल खसरा 02 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 611 रकबा 115 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 617 रकबा 04 बीघा 07 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 119 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 393 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 394 रकबा 100 बीघा, खसरा नम्बर 395 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 398 रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 399 रकबा 20 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा इस प्रकार कुल खसरा 10 कुल रकबा 168 बीघा [illegible] बिस्वा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पूर्व नाम की प्रविष्टि ''<u>पूनाराम पुत्र देवाराम</u>'' को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर नवीन नाम की प्रविष्टि ''***<u>निष्काम चौधरी पुत्र देवाराम</u>***'' दर्ज करते हुये वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **24/12/2021** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	10.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	13.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:42 IST
Reason: SelfAttested